मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 233-34
भोपाल, दिनांक 03/02/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/1156/2020

आवेदकः–
मेसर्स मालवा कन्फेक्शनरी वर्क्स,
85, पोलोग्राउण्ड,
इण्डस्ट्रीयल एरिया,
इन्दौर – 452 001 (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदकः–
मेसर्स श्री श्रीमाल ट्रेडर्स,
करसेठीजी रोड,
1512, किंग्स गेट, कोथला,
अहमदनगर – 414101 (महाराष्ट्र)

अन्तिम सुनवाई दिनांक 06.01.2021
माध्यस्थम आदेश दिनांक 3/फरवरी/2021

आवेदक ने दिनांक 13.01.2010 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदक के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 3,90,088/– एवं इस राशि पर दिनांक 10.01.2020 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 2,36,947/– इस प्रकार कुल राशि 6,27,035/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

(1) अनावेदक द्वारा सामग्री प्रदाय हेतु समय–समय पर मौखिक आदेश आवेदक को दिया गया है। आवेदक द्वारा बिल दिनांक 17.09.2017 से दिनांक 27.01.2018 तक 8 बिल्स के माध्यम से कुल राशि रू. 4,90,088/– की सामग्री का प्रदाय कर, बिल्स भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये।

(2) अनावेदक द्वारा प्रदायित सामग्री की कुल राशि रू. 4,90,088/– के विरूद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेक दिनांक 15.02.2018 से राशि रू. 1,00,000/– का भुगतान किया गया है एवं राशि रू. 3,90,088/– अनावेदक पर बकाया है।

(3) आवेदक द्वारा वकाया राशि के भुगतान हेतु अनावेदक को लीगल नोटिस दिनांक 12.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया जों अनावेदक द्वारा लेने से मन करने पर, आवेदक को वापस प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात अनावेदक को सूचना पत्र ई–मेल दिनांक 04.07.2019 को भेजा गया किन्तु अनावेदक ने वकाया राशि एवं ब्याज का भुगतान नही किया।

.....2

अतः आवेदक द्वारा प्रदायित सामग्री की बकाया राशि रू. 3,90,088/– एवं दिनांक 10.01.2020 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 2,36,947/– इस प्रकार कुल राशि 6,27,035/– का दावा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 601–602 दिनांक 24.08.2020, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत नही किया गया एवं न, ही कोई सूलह प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 06.01.2020 को सुनवाई/सुलह हेतु नियत किया गया।

सुनवाई दिनांक 06.01.2021 को काउंसिल सुनवाई बैठक में आवेदक मेसर्स मालवा कन्फेक्शनरी वर्क्स, इंदौर की ओर से श्री विजय मोटवानी एवं उनके अधिवक्ता श्री वाय0के0 जोशी **उपस्थित** हुए। अनावेदक श्रीमाल ट्रेडर्स कोठला, अहमदनगर, महाराष्ट्र **अनुपस्थित** रहे।

बैठक में आवेदक को सुना गया।

आवेदक ने अवगत कराया कि, दिनांक 13 जनवरी, 2020 को मूलधन राशि रु0 3,90,088.00 एवं इस पर वकाया ब्याज राशि रु0 236947.00 कुल राशि रु0 6,27,035.00 के लिए दावा आवेदन प्रस्तुत किया था। अनावेदक न दावा आवेदन का उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं और न स्वयं उपस्थित हो रहे हैं।

अतः अनावेदक के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश जारी किया जाए तथा 31 दिसंबर, 2020 तक का ब्याज भी प्रदान किया जाए। अनावेदक को नोटिस जारी एवं तामील होना पाया गया। अनावेदक द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करने से आवेदक का दावा आवेदन अनावेदक द्वारा स्वीकार करना माना जाता है ।

काउंसिल ने विचारोपरान्त प्रकरण में एकपक्षीय आदेश जारी कर, मूलधन+ब्याज का भुगतान करने के आदेश पारित करने का निर्णय लिया। अंतिम आदेश पारित हो ।

अनावेदक ने आवेदक द्वारा दावा की गई बकाया मूलधन एवं ब्याज राशि के संबंध में आपत्ति के कोई भी तथ्य/कथन प्रस्तुत कर आवेदक के दावा आवेदन पत्र का प्रतिकार नही किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रस्तुत अभिलेखों से, आवेदक द्वारा प्रदायित सामग्री के 07 वकाया विलो की कुल राशि रू. 3,90,088/– एवं दिनांक 31.12..2020 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 4,04,992/– इस प्रकार कुल राशि 7,95,080/– का दावा स्थापित होता है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक द्वारा, बकाया

.....3

मूलधन राशि रू. 3,90,088/- (रूपये तीन लाख नब्बे हजार अट्ठासी मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक 31.12.2020 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 4,04,992/-(रूपये चार लाख चार हजार नौ सौ बानवें मात्र) कुल राशि रू. 7,95,080/-(रूपये सात लाख पन्च्यानवें हजार अस्सी मात्र) एवं भुगतान दिनांक तक, के ब्याज का भुगतान आवेदक को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदक, अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, भुगतान दिनांक तक, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज, पाने का अधिकारी होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्षम प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/- के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना-अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(शरद मोहन अग्रवाल)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।